




तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 11/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
08.11.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल बहादुरसिंह पुत्र जवाहरसिंह, जाति— राजपूत, निवासी— रामपुरा, पुलिस थाना सिरोही सदर उपस्थित। गैरसायल ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तागसा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा आम लोगों जुआं खेलने के प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही में 01 व पुलिस थाना सिरोही सदर में 2 कुल 3 प्रकरण दर्ज हुये। जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलाने से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल के विरुद्ध लोगों सूचना देते से कतराते है। अतः गैरसायल को जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि आम जन को उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज किये गये है। गैरसायल ने इन मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति के मुकदमें दर्ज नहीं है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल के छोटे छोटे बच्चे है। परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति गैरसायल है जो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिये रहम नजर रखकर गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 127 दिनांक 05.6.2023 व पुलिस थाना सिरोही सदर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 35 दिनांक 26.3.2022 व अपराध संख्या 46 दिनांक 22.4.2023 को दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक क्रमशः 28.10.2020, 25.4.2023 व 05.5.2023 के द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। जिनमें से अपराध संख्या 35 दिनांक 26.3.2023 व अपराध संख्या 46 दिनांक 22.4.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, इन दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों व इन दोनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय</p> <p style="text-align: right;">.....पेज दो</p>	



  
 प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
 सिरोही-307001.

तारिख हुकम	<p style="text-align: center;"><b>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> गुण्डा एक्ट मु.सं. 11/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>
	<p>पारित निर्णयों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी पाया गया है, परन्तु गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 22.4.2023 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है।</p> <p>पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने, आम जन की सम्पति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाना व निष्कासित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(डॉ. भास्कर बिश्नोई)</b>  <b>अतिरिक्त जिला कलक्टर</b>  <b>सिरोही</b> </p>	